न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 39/2019

धापली उम्र 50 वर्ष पत्नी हरलाल जाति कुम्हार निवासी निराधनु तहसील मलसीसर

आवेदक

बनाम

1. अनिल कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्र शिवदत जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर
2. आनन्द कुमार उम्र 28 वर्ष पुत्र शिवदत जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर
3. इन्द्रादेवी उम्र व्यस्क पुत्री पूर्णाराम जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर
4. केशरदेवी उम्र व्यस्क पुत्री पूर्णाराम जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर
5. निवास कुमार उम्र व्यस्क पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर
6. परमेश्वरी उम्र 60 वर्ष पत्नी शिवदत जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर
7. बनारसी देवी उम्र व्स्क पत्नी पूर्णाराम जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर
8. मंजुदेवी उम्र व्यस्क पुत्री शिवदत जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर
9. विद्याधर उम्र व्यस्क पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर
10. शारदा उम्र व्यस्क पुत्री पूर्णाराम जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर
11. सोहनी देवी उम्र व्यस्क पुत्री पूर्णाराम जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 04.03.2022

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम निराधनु पटवार हल्का निराधनु की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 4.84 है0 में आवेदिका अपने दर्ज हिस्से मुताबिक कब्जा काश्त है। जिसमें आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 469 रकबा 4.76 है0 में सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू से ए से बी तक रास्ते का उपयोग उपभोग करते रहे है जो प्रचलित रास्ता है। आवेदिका के पास अपनी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। आवेदिका डीएलसी की दुगुनी दर से भुगतान करने के लिये तैयार है। अन्त में प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 470में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 469में से 10फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1 व 5 व्यं उपस्थित आये। अनावेदकगण संख्या 2 लगायत 4, 6 लगायत 11 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष

नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 2 लगायत 4, 6 लगायत 11 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदकगण संख्या 1 व 5 को प्रर्यापत अवसर देने के उपरांत भी अपना जवाब पेश नहीं किया। अतः उनकी जवाब देही बंद की गई।

जवाब देही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये धारा 251ए के प्रावधानों के प्रकाश में तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु सी से डी रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। साथ में कथन किया कि इसके अतिरिक्त आवेदक के खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ते की अत्यातिंक आवश्यकता है। प्रार्थी डी.एल.सी दर से भुगतान करने को समहत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.02.2022 का अवलोकन किया गया तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मौके पर खसरा नम्बर 1419/1397 में से सलंग्न फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या सी से डी तक आवेदिका द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी 132 मीटर है जबकि फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार बिन्दू संख्या ए से बी के मध्य रास्ता छोड़ा हुआ है जिसकी दुरी 63 मीटर है। जिसके अनुसार आवेदिका को ए से बी के बीच रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी ज़ोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधरी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी 132 मीटर है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शित बिन्दू संख्या ए से बी तक रास्ता पहले से छोड़ा हुआ है। जिसकी दूरी भी न्यूनतम है। साथ ही न्यूनतम मार्ग दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व से छोड़ा गया मार्ग 63 मीटर लम्बा होना बताया है। जो सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार लधुतम प्रतीत होता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आंशिक रूप स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आवेदिका तहसीलदार मलसीसर की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.02.2022 के मुताबिक अप्रार्थीगण द्वारा छोड़ा गया रास्ता बिन्दु ए से बी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है तो धारा 251ए के प्रावधानानुसार रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. दर से दो गुना राशि का भुगतान कर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा सकती है। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर की दो गुना से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 04/3/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर